न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अरनोद, जिला — प्रतापगढ

पीठासीन अधिकारी — डॉ. कुलराज मीणा (R.A.S.)

प्रकरण संख्या — 72 / 2015

दायर दिनांक :— — —201

निर्णय दिनांक :— 21-3-18

01. श्रीमति रामकन्याबाई पत्नी कालूराम जी डांगी

02. ईश्वरलाल पिता कालूराम जी डांगी

03. प्रकाश पिता कालूराम जी डांगी

निवासीयान रामनगर तहसील अरनोद जिला प्रतापगढ राज.

— प्रार्थीगण

—:: बनाम ::—

01. श्री कालूराम पिता नन्दा जी डांगी

02. रमेश पिता कालूराम जी डांगी

03. तहसीलदार, अरनोद जिला प्रतापगढ (राज0)

— विपक्षीगण

—:: आदेश::—

उपस्थित :— श्री अर्जुन वैष्णव अधिवक्ता प्रार्थीगण
श्री कमलाशंकर कमलवा अधिवक्ता विपक्षीगण

प्रार्थीगण की ओर से एक प्रार्थनापत्र विरूद्ध विपक्षीगण आदेश का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मोजा रामनगर पटवार सर्कल लूपडी तहसील अरनोद के राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादी सं. 1 कालू पिता नन्दा जी डांगी के नाम पर उसके स्वामीत्व व आधिपत्य की आराजी सं. 181 रकबा 0.60 हैक्टेयर कृषि भूमि स्थित है जिस पर प्रतिवादी सं. 1 कालू आज भी काबिज होकर आराजी में फसल बोता व काटता तथा आराजी में काश्त करता व आराजी का भुगत करता चला आ रहा है। इस आराजी में प्रतिवादी सं. 1 के अलावा अन्य किसी का कोई हक व अधिकार नहीं है।

वादीगण ने एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 88 व 188 रा0 टी0 एक्ट का न्यायालय में पेश किया जो सुनवाई हेतु पेडिंग है। प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र तहत धारा 212 रा0 टी0 उक्ट विपक्षीगण के विरूद्ध पेश कर न्यायालय से यह सहायता चाही है कि आराजी सं. 181 रकबा 0.61 हैक्टेयर कृषि भूमि का बंटवारा किया जाकर प्रार्थीगण को उसका खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे व विपक्षी सं. 1 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे।

विपक्षी सं. 1 कालू पिता नन्दा ने अपनी तरफ से प्रार्थना पत्र का जवाब पेश कर अपने जवाब में कहा कि प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र व वाद पत्र दुर्भावना पूर्ण विपक्षी को तंग व परेशान करने के लिए पेश किया है। आराजी सं. 181 विपक्षी के नाम पर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होकर उसके खाते व कब्जे काश्त की है जिसमें प्रार्थीगण का कोई भी हक व अधिकार नहीं है, ना वे प्राप्त करने के अधिकारी है क्योंकि विपक्षी सं. 1 ने अपने तीनों पुत्रों को यानि प्रार्थी सं. 2 व 3 को तथा विपक्षी सं. 2 को अल से 0.74 है0 — 0.74 है0 जमीन प्रत्येक

को अपने नाम पर दर्ज अपने खाते की जमीन में से देकर उनके नाम पर दर्ज करवा दी है [illegible] कब्जा प्रत्येक को अलग अलग दे दिया है। जिस पर प्रार्थी सं. 2 व 3 को तथा विपक्षी सं. 2 [illegible] होकर काश्त करते चले आ रहे हैं।

वाद में रामकन्या स्वयं ने जरिये प्रार्थना पत्र 212 में किसी भी प्रकार की कार्यवाही नही चाहने [illegible] निवेदन किया। अप्रार्थी ने अपने पक्ष में माननीय न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का उत्तम बनाम भगवानसिंह [illegible] 2016 का निर्णय भी पेश किया। अप्रार्थी दौरान बहस बताया कि वादग्रस्त आराजी में से कुछ जमीन विपक्षी सं. 1 बेचान कर चुका है। शेष जमीन जो उसके हक व हिस्से की होकर उसके नाम पर होकर उसके खाते में दर्ज है। एवं इस पर आज भी काश्त करता चला आ रहा है। प्रार्थीगण का उस पर कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा। इसलिए सुविधा का संतुलन विपक्षी सं. 1 के पक्ष में है। प्रथम दृष्टया मामला भी नहीं है। प्रार्थीगण ने जानबूझ कर विपक्षी सं. 1 को जलील व परेशान करने की नियत से यह गलत प्रार्थना पत्र पेश किया है।

दोनों पक्षों की ओर से लिखित बहस पेश की गई। दोनों पक्षों को सुना गया व पत्रावली पर उपलब्ध सम्पूर्ण साक्ष्य एवं पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया। विपक्षी कालू पिता नन्दा डांगी निवासी रामनगर खातेदार कृषक है। प्रार्थी संख्या खातेदार कृषक की पत्नी है तथा पति के जीवित रहते हुए पत्नी को पति की सम्पत्ति से अलग से कोई अधिकार नहीं है। अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी के नाम में अपने खाते की जमीन में अप्रार्थी प्रत्येक को 74 हैक्टेयर नाम दर्ज करा दी। शेष आराजी नम्बर उस अप्रार्थी ने अपने जीवनयापन एवं भरण पोषण के लिए रखी है अतः न तो प्रार्थी के पक्ष में सुविधा का सन्तुलन बनता ना ही प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनता। रही बात अपूर्णीय क्षति की कि अप्रार्थी ने अपने हिस्से की जमीन का ही बेचान किया है।

उक्त आधारों पर प्रार्थीगण का यह प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं होने से [illegible] किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
अरनोद